मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

पात्रता

1 राज्य की मूल निवासी 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा

2 समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो।

नोटः यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

देय पेंशन

→ 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु पर 500 रूपये,

→ 55 से 60 वर्ष तक 750 रूपये,

→ 60 से 75 वर्ष तक 1000 रूपये एवं

→ 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन।

आवश्यक दस्तावेज

1 जनआधार कार्ड संख्या एवं आधारकार्ड संख्या।

जनआधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

1.आधारकार्ड
2.जन्मप्रमाण पत्र
3.राशनकार्ड
4.मूल निवास प्रमाण पत्र
5.बैंक खाता विवरण
6.आवेदक- पासपोर्ट साईज फोटो
7. आय घोषणा पत्र
8. विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
9. तलाकशुद्धा महिला पेंशन हेतु न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
10. परित्यक्ता महिला पेंशन हेतु उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

आवेदन का तरीका

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात rajssp पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।